	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अखे खां बनाम उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर बी.पी.एल. अपील सं. 03/17	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मते जारी हुए
17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अखे खां अजखुद उपस्थित। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अपीलार्थी को सुना गया। संक्षिप्त में अपील तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.11.2017 को अपीलार्थी अखे खां पुत्र गफुर खां निवासी दले खां की चक्की, पाल रोड़ मसूरिया, सिन्धियों का बास, जोधपुर की ओर से बी.पी.एल. अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2017 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा दिया गया, के पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर उपखण्ड अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उसने उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक आवेदन अन्तर्गत शहरी बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण–2003 के तहत पेश किया जो बाद जांच उपखण्ड अधिकारी महोदय जोधपुर ने सुनवाई करते हुए दिनांक 18.08.2017 को इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया कि बी.पी.एल. सर्वे 2003 की सर्वे सूची में नाम नहीं होने के कारण अपील पोषणीय नहीं है। अपील में राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक एफ–32(123)एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/2076 दिनांक 17.02.07 के बिन्दु सं. 1 एवं 10 में नया नाम जोड़ने के निर्देश दिये है, की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने प्रार्थी का आवेदन खारिज करने की कानूनी भूल की है अन्त में उपखण्ड अधिकारी का आदेश निरस्त कर बी.पी.एल. सूची में नाम जोड़ने की इस्तदुआ की। उपखण्ड अधिकारी ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 18.12.17 में बतलाया कि अखें ने अपील के साथ सर्वे 2003 की सत्यापित प्रति पेश नहीं की तथा जोधपुर नगर निगम ने जांच रिपोर्ट भिजवाई है उसके साथ भी सर्वे की प्रति संलग्न नहीं है। अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक एफ–32(123)एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/2076 दिनांक 17.02.07 के निर्देशानुसार बीपीएल चयनित सूची में नये नाम जोड़ने की प्रकियान्तर्गत बीपीएल सर्वे 2003 के विरूद्ध अपील प्रकिया है। हमने राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक एफ–32(123)एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/2076 दिनांक 17.02.07 को जारी पत्रांक का अवलोकन किया जिसमें बतलाया गया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2003 में बीपीएल परिवारों की गणना की जाकर दिनांक 01.04.2005 को जारी की गई है। इस सूची में से अपात्र परिवारों के नाम हटाने तथा **नये नाम जोड़ने के निषेध** के संबंध में विभाग द्वारा राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक एफ–32(123)डीएलबी/एस जे एस आर वाई/बी पी एल	

सर्वे/06/4210 दिनांक 04.06.05 द्वारा परिपत्र जारी किया गया था इसके पश्चात् माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट पीटिशन सिविल 196/2001 पीयूसीएल बनाम भारत संघ व अन्य में प्रसारित आदेश में **बी.पी.एल. सूचियों के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान निरन्तर आधार पर सूची में नये नाम** सम्मिलित किये जाने एवं अपात्र नाम हटाने के निर्देश दिये है इसकी पालना में पुनः राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक एफ–32(123)एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/2076 दिनांक 17.02.07 के बिन्दु सं. 01 एवं 10 नये जोड़े जाने वाले /नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। दिनांक 17.02.2007 को जारी परिपत्र में कहीं नहीं लिखा गया है कि बी.पी.एल. सर्वे–2003 सूचि में सम्मिलित नाम वाले ही व्यक्ति ही उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए पात्र है। उक्त परिपत्र के पेरा सं. 10– में यह स्पष्ट किया कि " **नये जोड़े गये नाम डालते हुए बीपीएल सूची में आगे का कमांक डालकर दर्ज किये जायेगें, तथा अपात्र पाये गये नाम हटाये जायेगें। संबंधित आदेश का कमांक एवं दिनांक भी सूची में अंकित किया जायेगा परन्तु बीपीएल सूची में से हटाये गये नामों के कारण सूची में अंकित नामों के कमांक नहीं बदले जायेगें।** " अपीलार्थी के नवीन बी.पी.एल. आवेदन मय अनुसूचि भाग–अ की जांच प्रतिवेदन में भी अपीलार्थी को बी.पी.एल. में चयनित होने के पात्र माना है अतः प्रथम दृष्टया अपीलार्थी का कथन मानने योग्य है कि उक्त परिपत्र के अनुसार बीपीएल में चयनित पात्र होने से नये नाम जोड़ने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.08.17 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार के स्वायत शासन विभाग जयपुर का पत्रांक **एफ–32(123)डीएलबी/एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/4210 दिनांक 04.06.05** द्वारा परिपत्र जारी एवं स्वायत शासन विभाग जयपुर का **पत्रांक एफ–32(123)एस जे एस आर वाई/बी पी एल सर्वे/06/2076 दिनांक 17.02.07** में नये नाम जोड़ने के लिए पुनः प्रकिया निर्धारण की गई, दोनों परिपत्रों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हुए अपीलार्थी के प्रकरण का 15 दिन में निस्तारण करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।